गुजरात में कल्याण योजनाएं

2286. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष गुजरात में आरम्भ की गयी कल्याण-योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उक्त लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया जा सका है; और

(ग) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए 1991-92 के दौरान शुरू की गई कल्याण मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा जो कि गुजरात राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान है और जिन्हें कार्यान्वयन के लिए इस राज्य में शुरू किया गया है संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों और समाज के अन्य वर्गों के कल्याण के लिए गुजरात राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनेक केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अन्यों के अलावा ननयोजनाओं का ब्यौरा मोटे तौर पर निम्न प्रकार है :-

1. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अभिप्रेत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां।

2. अस्वच्छ काम धंधों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां।

3. मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक।

4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु बालिका/बाल छात्रावास।

5. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध योजनाएं।

6. पैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

8. नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करना।

9. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां।

10. अनुसूचित जातियों की विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजातियों की आदिवासी उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता।

11. लघु वन उत्पाद के लिए अनुसूचित जाति विकास निगमों और राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों की केंद्रीय सरकार द्वारा अंशपूंजी में प्रतिभागिता।

12. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु व्यवहार्य योजनाओं के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम।

13. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय।

14. तेल बीजों तथा वृक्ष तेलों और वनमूल के तेलों का विकास।

15. आदिवासी अनुसंधान संस्थानों की सहायता।

16. आदिवासी उत्पादों के विपणन हेतु जनजातिय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के निवेश तथा मूल्य समर्थन सहायक अनुदान।

17. विकलांग जनों के संगठनों को सहायता की योजना।

18. सहायक यंत्रों और उपस्करों की खरीद फिटिंग के लिए विकलांग जनों को सहायक।

19. विकलांग जनों को रोजगार।

20. जिला पुनर्वास केंद्र।

21. मध्य निषेध तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग निवारण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

22. किशोर सामाजिक कुसमंजन का निवारण एवं नियंत्रण।

23. व्यो वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

24. शहरी वक्फ सम्पतियों के विकास हेतु केंद्रीय वक्फ परिषद् को सहायतानुदान।

25. आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग।

26. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान।

High Powered Committee on Welfare of SCs and STs

2287. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether any meeting of the High-Powered-Committee constituted under the Chairmanship of Prime Minister on Welfare of SCs/STs, has been fixed;

(b) if so, the date and items of agenda;

(c) if not, the reasons for not holding the same for a long period of 14 years;

(d) whether Chairman of National Commission for SCs/STs will be taken as a Member of the Committee; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (e) The next meeting of the High Powered Committee constituted under the Chairmanship of Prime Minister for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not yet been fixed. No agenda has, therefor, been decided. The Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has gone into the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and have submitted their report. The question of inclusion of the Chairman of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be taken up at the time of its reconstitution.

Benefits of STs to Bhotias of Uttar Pradesh

2288. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bhotias are considered as S.T. in Uttar Pradesh;